(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 25 / 2019

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयालाल गोस्वामी उम्र 20 वर्ष जाति गोस्वामी निवासी ग्राम पोस्ट काचरा तहसील अटरू जिला बारां **(मौके पर मौजुद मालिक व विक्रेता)** मैसर्स जय माता दी, पुरानी धानमण्डी अटरू जिला बारां। मो0 नं0 9928718791
2. श्री महेश कुमार मेघानी निवासी 2 जीए–5 टीचर्स कॉलोनी, मीरा मार्केट केशवपुरा कोटा। मैसर्स शिवम ट्रेडर्स 2जीए–5 टीचर्स कॉलोनी, मीरा मार्केट केशवपुरा कोटा। मो.नं. 7891060671
3. श्री कुनाल चन्दानी पुत्र सुरेश कुमार चन्दानी निवासी 31, शास्त्री नगर ब्यावर अजमेर (राज.) मैसर्स कुन्दन इडिबल ऑयल इण्डिस्ट्रिज, फैक्ट्री बाईपास रोड के पास, गणेश्पुरा ब्यावर जिला अजमेर मो.नं. 9982177783

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री धर्ये नागर अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 1 व 3)
3– श्री प्रिय दर्शन शर्मा अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 2)

निर्णय दिनांक 22.10.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.10.2018 को मैसर्स जय माता दी, पुरानी धानमण्डी अटरू जिला बारांपर पहुंचा। वहॉ पर श्री महेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयालाल गोस्वामी **(मौक पर मौजूद विकेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 27.10.2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक/एच/पीएफए /नोटिफिकेशन /2011 /440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहा पर खाद्य पदार्थ **मूंगफली तेल (कुन्दन ब्राण्ड) 1 लीटर पैक** में विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **मूंगफली तेल (कुन्दन ब्राण्ड) 1 लीटर पैक** मे **मिलावटी व मिथ्याछाप** का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **मूंगफली तेल (कुन्दन ब्राण्ड) 1 लीटर पैक के मूल 04 बोतले** वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदी, जिसकी श्री महेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयालाल गोस्वामी को 400/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु **मूंगफली तेल (कुन्दन ब्राण्ड) 1 लीटर पैक के मूल 04 बोतलो** को चार नमूना भाग में अलग–अलग कर मूल बोतलों पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–863 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–863 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री महेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयालाल गोस्वामी ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/238 दिनांक 12.12.2018 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 636/FSSA/Kota/Act/2018/739 दिनांक 29.11.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **मूंगफली तेल (कुन्दन ब्राण्ड) 1 लीटर पैक असुरक्षित (Unsafe)** होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट से निर्माता सन्तुष्ट नही होने के कारण, निर्माता ने प्रार्थना पत्र कार्यालय मे प्रस्तुत कर अपील की थी।

जिस पर नमूने के द्वितीय भाग पत्रांक/एफएसएसए/2019/22 दिनांक 23.1.2019 द्वारा रेफरल फूड लेबोरेट्री पूणे मे भिजवाया गया था, जिसकी जांच रिपोर्ट निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री पूणे का कमांक REL/DO/48/19/147/2019 दिनांक 12.2.2019 द्वारा संलग्न कर दी गई के अनुसार निर्माता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **मूंगफली तेल (कुन्दन ब्राण्ड) 1 लीटर पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zX) एण्ड 3(1)(zf) के तहत **अवमानक एवं मिथ्याछाप** (**Sub Standard and Misbranded**) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 23.09.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 3 द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत नही कर, प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करने हेतु अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **मूंगफली तेल (कुन्दन ब्राण्ड) 1 लीटर पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच मे **अवमानक एवं मिथ्याछाप** (**Sub Standard and Misbranded**) होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (II) के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी द्वारा कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ **मूंगफली तेल (कुन्दन ब्राण्ड) 1 लीटर पैक** वास्ते नमूना जॉच हेतु अप्रार्थी क्रम 1 की दुकान से क्रय किया गया था। उक्त **तेल** में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार के केमिकल इत्यादि की मिलावट नही की गई है, शुद्व मूंगफली तेल ही विक्रय किया जाता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत कार्यवाही निरस्त फरमाने की कृपा करे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **मूंगफली तेल (कुन्दन ब्राण्ड) 1 लीटर पैक** जॉच मे **अवमानक एवं मिथ्याछाप** (**Sub Standard and Misbranded**) होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 व 52 के तहत प्रत्येक अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 3 को 10,000/–रू. 10,000/–रूपये की जुर्माना राशि, प्रकरण मे कुल जुर्माना राशि 30,000/– रूपये अक्षरे तीस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.10.24 15:11:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: